अज्ञात वाहन से टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना ''हिट एंड रन''

1– (मृत्यु होने पर)

1–अज्ञात वाहन से मृत्यु होने पर थाना क्षेत्रार्न्गत थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज प्रारूप–1, 4 आवेदक के हस्ताक्षरित, प्रारूप–3 दावा जांच कर्ता अधिकारी(थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित), मर्ग इंटीमेशन, प्रथम सूचना रिपोर्ट विस्तृत, शव परीक्षण रिपोर्ट, मृतक/हितग्राही के आधारकार्ड की प्रति, मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, हितग्राही का बैंक खाता, पुलिस खात्मा रिपोर्ट एवं अंतिम खात्मा स्वीकृति आदेश संलग्न कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करता है । (हितग्राही का बैंक खाता– भारतीय डांक बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक, क्योस्क बैंक के अलावा अन्य बैंक का खाता मान्य होगा)

2– संबंधित अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रेषित कर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपने अभिमत सहित प्रारूप–2 (तहसीलदार/अनुविभागीय द्वारा हस्ताक्षरित) विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला कार्यालय प्रेषित करता है ।

2– (घायल होने पर)

1–अज्ञात वाहन से घायल होने पर थाना क्षेत्रार्न्गत थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज प्रारूप–1, 4 आवेदक के हस्ताक्षरित, प्रारूप–3 दावा जांच कर्ता अधिकारी(थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित), मर्ग इंटीमेशन, प्रथम सूचना रिपोर्ट विस्तृत, गंभीर चोट की पुष्टि करने वाला मेडिकल दस्तावेज, ओपीडी में इलाज किया गया और उसे डिस्चार्ज होने पर डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, यदि घायल को रेफर किया गया किया गया है तो रेफर किये गये अस्पताल में उपचार एवं डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, हितग्राही के आधारकार्ड की प्रति, हितग्राही का बैंक खाता, पुलिस खात्मा रिपोर्ट एवं अंतिम खात्मा स्वीकृति आदेश संलग्न कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करता है । (हितग्राही का बैंक खाता– भारतीय डांक बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक, क्योस्क बैंक के अलावा अन्य बैंक का खाता मान्य होगा)

2– संबंधित अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रेषित कर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपने अभिमत सहित प्रारूप–2 (तहसीलदार/अनुविभागीय द्वारा हस्ताक्षरित) विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला कार्यालय प्रेषित करता है ।